संख्या : 50/2015/1036/छप्पन-15-43/08 टी0सी0-।।।

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 06 जुलाई, 2015

विषय :निष्प्रयोज्य वायुयानों का विक्रय।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 85/ना0उ0/2015, दिनांक 23-04-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के निष्प्रयोज्य वायुयानों/हेलीकॉप्टरों के विक्रय हेतु प्राप्त निविदाओं में से वायुयानों/हेलीकॉप्टरों के निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य के परिप्रेक्ष्य में दो वायुयानों सुपर किंग एयर-300 एल0डब्ल्यू0 (वी0टी0-यू0पी0ए0) एवं प्रीमियर-1ए तथा दो हेलीकॉप्टर चेतक एवं बेल-230 तथा उनके रोटेबल्स के निस्तारण हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा समिति के समक्ष निविदा खोली गयी। प्रीमियर-1ए के लिये मात्र एक निविदा प्राप्त हुई। बेल-230 हेलीकॉप्टर एवं चेतक हेलीकॉप्टर हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। फलतः इनके विक्रय हेतु पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जायेगी। सुपर किंग एयर-300 एल0डब्ल्यू0 (वी0टी0-यू0पी0ए0) के न्यूनतम आरक्षित मूल्य रूपये 575-300 लाख के सापेक्ष मै0 ज्योति इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, उड़ीसा द्वारा उच्चतम दर रूपये 6,75,00,000/- (रूपये छः करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) दी गयी है। तदनुसार निविदा समिति ने उच्चतम दरदाता के पक्ष में विक्रय करने की संस्तुति की है।

सम्यक् विचारोपरान्त निविदा समिति की उक्त संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए श्री राज्यपाल उपर्युक्तानुसार वायुयान सुपर किंग एयर-300 एल0डब्ल्यू0 (वी0टी0-यू0पी0ए0) को उच्चतम दरदाता के पक्ष में उनके द्वारा दी गयी दर पर विक्रय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें हैं।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वायुयान के विक्रय की कार्यवाही करते समय एयरक्राफ्ट रूल्स-1937 के प्रस्तर-35 में निहित प्रक्रिया के अनुसार वायुयान के स्वामित्व परिवर्तन के सम्बन्ध में यथा अपेक्षित सूचना महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेज कर पंजीकृत कराने की औपचारिकताएं पूर्ण करा ली जाएं तथा वायुयान के विक्रय के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं यथा समय पूर्ण कराकर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त वायुयानों एवं उसके फालतू पुर्जो/रोटेबल्स के विक्रय से प्राप्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखा शीर्षक- "0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-60-अन्य सेवायें-800-अन्य प्राप्तियों-08 हवाई सेवाओं से प्राप्त प्राप्तियों" के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या- 50/2015/1036(1)/छप्पन-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226 024
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।